

12/23

आज यह पत्रावली प्राथमिक लक्ष्मी देवी, किराण पुराणा
अपविष्ट के द्वारा जारी वकील प्रत्युत प्राथमिक पत्र के
पट पेशी में ली गई। प्राथमिक पत्र में विशेष किया है कि
उक्त प्रकरण में नाडीमा व प्रतिवादी गण एक ही
परिवार के सदस्य हैं। उक्त प्रकरण में लोक अदालत
की शपथगत सतथा एक ही परिवार का मामला होने के
कारण नाडीमा को अपने तब प्रकरणों में आगे नहीं
बलाना चाहते तथा प्रकरण इसी स्टेज पर बिना
किसी अड़मति प्रदान करते हुए दावा सूची स्टेज पर
रखा कि प्रकरण फावें।

प्राथमिक द्वारा जारी वकील प्रत्युत प्राथमिक पत्र के
लेखाट किया जाकर उक्त दावा, प्रकरण जारी
विशाल सूची स्टेज पर रखा कि बिना जाता है।
पत्रावली फॉल्ल शपथगत होकर दाखिल प्रकरण

मि. प्रमाण प्रमाण
- प्रमाण
- प्रमाण
किरा देवी
रखा कि



सहायक कलेक्टर
बीकानेर शहर